(24)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1275/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 34/अंतरण/14-15.

---

श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी श्री प्रितोष सिंह
निवासी 13/4-ए, प्रेरणा हाऊस,
साकेत नगर, भोपाल ...............आवेदक

विरूद्ध

आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी,
द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता-श्री प्रदीप खरे
आ. श्री आर.बी.एल. खरे,
कार्यालय 202, गंगा-जमुना कॉम्प्लेक्स,
झोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल ................अनावेदक

---

श्री मानव तनवानी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल जैन, अभिभाषक, अनावेदक

---

## :: आ दे श ::

## (आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा ग्राम जाटखेड़ी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 69 के संबंध में आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.03.2015 पर कार्यवाही करते हुए अनावेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सर्वे क्रमांक 69 के संबंध में नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रचलित उपरोक्त प्रकरण के अभिलेखों में आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी सिंह के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 69/11 रकबा 0.38 एकड़ के सीमांकन, बटान एवं स्थल पर रकबा विसंगति के संबंध में प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न की गई है। दिनांक 25.03.2015 को प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल के साथ श्री विकास जैन नायब तहसीलदार, श्री राजेन्द्र जैन ए.एस.एल.आर. श्री नीलेश सरवटे राजस्व निरीक्षक एवं श्री रामजी तिवारी राजस्व निरीक्षक के दल द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका की भूमि खसरा नंबर 69/11 पर आवेदक के कथित अतिक्रमण को हटाने संबंधी कार्यवाही के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अंतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.10.2016 को आदेश पारित कर अनावेदक संस्था के विरूद्ध की जा रही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही समाप्त की गई तथा कलेक्टर, भोपाल को प्रदत्त बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों के अंतर्गत उपरोक्त सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 68 के अंतर्गत सर्वे नंबर 69 का रकबा निर्धारण कर न्यायोचित बटांकन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश, विधि में उपबंधित प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उनके समक्ष अनावेदक की ओर से केवल संहिता की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 81/बी-121/14-15 को किसी अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष अंतरित किये जाने की याचना की गई थी, किंतु अपर आयुक्त

द्वारा अपने क्षत्राधिकार का मनमाना उपयोग करते हुये नायब तहसीलदार के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 81/बी-121/14-15 के माध्यम से संहिता की धारा 250 के अधीन की जा रही कार्यवाही को ही समाप्त कर दिया गया।

(3) नायब तहसीलदार के न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण क्र. 81/बी-121/14-15 का अंतिम रूप से निराकरण होना शेष है, जिसमें अभिलेखगत साक्ष्य, साथ ही आवेदिका की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य के उपरांत ही नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जा सकता था और ऐसे निराकरण के पश्चात् आवेदिका को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होता, किंतु अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर आवेदिका को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो न केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, वरन् विधि की दृष्टि से स्पष्टत: क्षेत्राधिकारविहीन भी है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्णरूपेण पक्षपातपूर्ण कार्यवाही है न कि न्यायिक कार्यवाही है। अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं संज्ञान में आये वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, ऐसा पारित आलोच्य आदेश विधि की प्रक्रिया अनुसार न होने से शून्य होकर निरस्त कये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक संस्था के विरूद्ध की जा रही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही समाप्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, जबकि वह मेड़िया कृषक होने से प्रभावित पक्ष है। अत: यह निगरानी समय-सीमा में मान्य की जाती है। अपर

आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 29 के अंतर्गत केवल अंतरण का आवेदन था, जिस पर निर्णय न लेते हुए उन्होंने गुण-दोषों पर निर्णय कर दिया, जो विधिक कार्यवाही नहीं है। अभी तहसील न्यायालय ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.03.2015 पर कार्यवाही करते हुए अनावेदक के विरूद्ध केवल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। अतः अपर आयुक्त द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में भूल की गई है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर